कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 2784 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,फरवरी, 13– 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15. 10.1996 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019)

संदर्भ:–

1–उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/95 दिनांक– 08.04.2022

2–आपका पत्रांक– 2903/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–11.04.2022

3–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक– 1989/रेनुकूट/15–27 दिनांक– 19.12.2022

4–इस कार्यालय का पत्रांक– 2325/मी0क्षे0/33 दिनांक–30.12.2022

5–इस कार्यालय का पत्रांक– 2301/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–11.01.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 08.04.2022 द्वारा इंगित की गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण कराते हुए आवश्यक अभिलेखो सहित आख्या संशोधित आख्या प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–6212/रेनुकूट/15–27 दिनांक 07.02.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निम्नानुसार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/95 दिनांक– 08.04.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	As per the DSS and SOI toposheet of the proposed diversion area. Some forest area patches have been demarcated as Non-forest land. The Kml file of the proposed diversion route, this needs to rectification clarification .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित संशोधित/सत्यापित जियो रेफरेन्स मानचित्र व टोपोशीट तथा के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव संलग्न है।
2	As per the Kml file the proposed diversion route has been suddenly ended at a point. This needs clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव संलग्न है। जी0पी0एस0 की अंतिम प्वाइंट से आगे संस्थान की भूमि पड़ती है इसी कारण आगे बन्द कर दिया गया है।
3	Geo referenced map of the proposed diversion area is not clearly visible (point id) this needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित जियो रेफरेन्स मानचित्र की संशोधित प्रति संलग्न है।
4	The Net suitable area for plantation as per GIS –DSS analysis is 95.95 ha . which is lss than the actual required area.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रो मे कोई कमी न हो इस हेतु एक नया क्षेत्र चयनित किया गया है जिसका सकल क्षेत्रफल 14. 70 हे0 व शुद्ध क्षेत्रफल 10.05 हे0 है। चयनित क्षेत्र से संबंधित सत्यापित जियो रेफरेन्स मानचित्र जी0पी0एस0

		लोकेशन सहित एवं टोपोशीट संलग्न है । अब क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रो मे कोई कमी नही होगी । संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन भाग-2 मे यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
5	As per the Google Earth imageries dated 16-11-2018. Partially plantatin activity has been observed on proposed CA land area.	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि उल्लिखित कमियो का निराकरण कराते हुए संशोधित अभिलेख संलग्न किया गया है ।
6	Revised NPV calculation needs to be furnished by User agency as per MOEF & CC letters dated 16-01-2022 &19-01-2022.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित NPV calculation प्रमाण पत्र संलग्न है ।
7	Revised Cost benefit analysis has to be provided .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित Cost benefit analysis प्रमाण पत्र संलग्न है ।
8	Dwarf plantation needs to be proposed elsewhere in some forest area accordingly scheme needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के नीचे बौने प्रजाति के वृक्षो का वृक्षारोपण करने हेतु 54.00 हे0 क्षेत्रो का चयन करते हुए उससे संबंधित जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट तथा के0एन0एल0 फाईल की पेन ड्राइव व उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 2787 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–2612 / रेनुकूट / 15–27 दिनांक 07.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 13/02
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर